न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–73 / 18 (2018 / 000173) वाद पत्र

उनवान

1–छोगा आत्मज बेणा बलाई निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–मोहन पिता खुमा कालबेलिया निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–भागु पिता खुमा कालबेलिया निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–रोशन पिता खुमा कालबेलिया निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–शान्तिलाल पिता देवा सालवी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–श्रीराम पिता देवा सालवी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–माधवलाल पिता जोधा सालवी निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–मौजीराम पिता जीतु सालवी निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 12.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चारोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे साबिक खाता संख्या 79 में अकिंत आराजी संख्या 467 / 3 रकबा 11 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि को वादी ने सन् 1976 में साबिक आ.स. 467 मी से आवंटित कर सिपूर्द की गई तब से वादी उस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी सवंत 2029 से 2035 व संवत 2049 से 2052, नामान्तरण संख्या 242, साबिक नक्शा ट्रेस की नकले पेश की है। वादी वक्त आवटंन से वादपत्र की कलम संख्या 1 में अकित आ.स. 467 / 3 रकबा 11 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी को आवटिंत की गई भूमि को साबिक नक्शे मे तरमीम नही किया गया परन्तु वादी उसको सिपूर्द की गई जगह पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिसे करीब 42 वर्ष हो गये। वादी ने अपने कब्जे काश्त की भूमि को अंग मेहनत करके उपजाउ बनाया गया तथा वादी ने अपनी आराजी के चारो तरफ थोहर व पत्थर की बाड़ लगा रखी है। साबिक आराजी संख्या 467 मी से अन्य लोगो को भी भूमि आवंटित की गई परन्तु उनके नम्बर को भी साबिक नक्शे में तरमीम नही किया गया परन्तु वादी व अन्य व्यक्ति वक्त आंवटन से उनको जंहा कब्जा सिपूर्द किया गया वहा पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम चारोट के भू प्रबन्ध होने से वादी की साबिक आराजी संख्या 467 / 3 रकबा 11 बीघा के नवीन नम्बर 720 रकबा 2.38 है0 कायम किए गए। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर व रकबा तो सही कायम किया गया परन्तु नवीन नक्शे में वादी की नवीन आराजी संख्या 720 को तरमीम करते समय मौके के स्थिति के विपरीत प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजियात में दर्ज कर दिया तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि को प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 722 व 724 को दर्ज कर दिया। भूप्रबन्ध विभाग को मौके की स्थिति के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि को नवीन नक्शे में तरमीम करना था परन्तु भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो व अधिकारियों ने विधिविरूद्व व मनमकसुद तरीके मौके की स्थिति के विपरीत वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि को नवीन नक्शे में अंकित कर दिया है जो गलत होकर अवैध है। बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी

मुकदमा नम्बरः—73 / 18 (2018 / 000173) वाद पत्र

फरमाई जावे कि ग्राम चारोट में स्थित वादी की आराजी संख्या 720 रकबा 2.38 है0 को नवीन नक्शे में मौके पर कब्जेनुसार प्रतिवादीगण की आ.स. 722, 724 व वादी की आराजी संख्या 720 को सम्मिलित करते हुए आ.स. 720 रकबा 2.38 है0 को उत्तर से दक्षिण दर्ज करने तथा प्रतिवादीगण की आराजी को मौके पर कब्जे अनुसार नवीन नक्शे में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 8 को प्रदान फरमाया जाए। बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाए कि प्रतिवादीगण वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी जिस पर वादी ने चारो तरफ थोहर की बाड़ कर रखी है से बेदखल नही करे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 25.09.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है अतः इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया ।

प्रतिवादी संख्या 8 तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकित किया कि ग्राम चारोट में आराजी नम्बर 720 रकबा 2.38 है0 खातेदार छोगा पिता वेणा बलाई के नम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर 720 में संलग्न राजस्व नक्शे में हरी स्याही से आच्छादित कर भू भाग पर अन्य पड़ौसी खातेदारान का कब्जा है। उक्त आराजी नम्बर 720 में सलग्न राजस्व नक्शे में हरी स्याही से डोटेड भूभाग पर ग्रामीण डामरीकृत सड़क निकल रही है। उक्त आराजी नम्बर 720 में सलग्न राजस्व नक्शे में हरी व लाल स्याही के मिश्रण से आच्छादित भूभाग पर ही वादी खातेदार छोगा पिता वेणा बलाई निवासी चारोट का कब्जा है। उक्त आराजी नम्बर 720 का शेष भाग पड़त होकर पशुओ के चरने एवं आवागमन के रूप में काम आ रहा है। तथा वादी जहां कब्जा है वह भूमि राजस्व रेकार्ड प्रतिवादीगणो के नाम दर्ज है किन्तु प्रतिवादीगणो का मौके पर कब्जा नही होकर अन्य भूमि पर कब्जा है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक नक्शा में दर्ज खसरा नम्बर 467 का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व रेकार्ड में वादी जिस खसरा नम्बर का खातेदार है मोके अनुसार वर्तमान में साबिक नक्शे के मुकाबले ही वादी काबिज है किन्तु वादी के नाम दर्ज साबिक खसरा नम्बर 467/3 की भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम नही थी इसमें वादी का कोई दोष नही है वादी जिस नम्बर का खातेदार था उसी नम्बर पर कब्जा है। ओर वर्तमान में खसरा नम्बर 724 के खातेदार विपक्षीगण का कब्जा नही होकर अन्य नम्बर पर काबिज है जिससे विपक्षी अपने नाम भूमि दर्ज कराने में स्वतन्त्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आशिंक स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी का वाद आशिंक स्वीकार किया जाकर ग्राम चारोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादवर्णित आराजी संख्या 725 रकबा 1.21 है0 मे से 0.23 है0, आराजी संख्या 724 रकबा 1.73 है0 मे से 1.27 है0, आराजी संख्या 720 रकबा 2.38 है0 मे से 0.88 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.38 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–73/18 (2018/000173) वाद पत्र

उनवान

1–छोगा आत्मज बेणा बलाई निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–मोहन पिता खुमा कालबेलिया निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–भागु पिता खुमा कालबेलिया निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–रोशन पिता खुमा कालबेलिया निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–शान्तिलाल पिता देवा सालवी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–श्रीराम पिता देवा सालवी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–माधवलाल पिता जोधा सालवी निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–मौजीराम पिता जीतु सालवी निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद आशिंक स्वीकार किया जाकर ग्राम चारोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादवर्णित आराजी संख्या 725 रकबा 1.21 है0 मे से 0.23 है0, आराजी संख्या 724 रकबा 1.73 है0 मे से 1.27 है0, आराजी संख्या 720 रकबा 2.38 है0 मे से 0.88 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.38 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

12·03·2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.17 17:56:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: